न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :– 29.11.2016

मुकदमा नं0 :– 64/2016

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

मूलचन्द पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन ——— प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राज0 जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन ———— अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी, जिला करौली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 बाबत पत्थरगढी

निर्णय

दिंनाक :– 24-03-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थी व उसके भाई बाबू व कन्हैया पिसरान किशोरी की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 3062 रकबा 0.33 है0 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त जमीन प्रार्थी के तरफ दक्षिण खसरा नम्बर 3062 रकबा 0.25 है0 अप्रार्थी जिम्मू व उसके परिवारजन श्यामलाल व भरोसी की खातेदारी की आराजीयात है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात का बाहमी तकास्मा के आधार पर खसरा नम्बर 3062 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 3063 पर अप्रार्थी जिम्मू का कब्जा काश्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त जिम्मू डण्डे वाले व लालची किस्म का व्यक्ति है। जो आये दिन प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 3062 की डोल मेंड को तोडकर कुछ जमीन को स्वंय की जमीन में मिला लेता है। कई बार कहन सुन व झगडा फिसाद हो चुका है, लेकिन अप्रार्थी जिम्मू अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। इसलिए जमीन खसरा नम्बर 3062 रकबा 0.33 है0 स्थित ग्राम कटकड को नपवाकर उक्त जमीन की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। जिससे हमेशा हमेशा की शिकायत दूर हो जाये और प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार शान्ति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आया किन्तु अप्रार्थी को जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने के कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा सीट हाल नम्बरान, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन नायबतहसीलदार हिण्डौन दिनांक 04.06.2005 पेश किये हैं।

प्रार्थी स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित नहीं। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसर नम्बर 3062 का सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार सा0 हिण्डौन को फरमावें।

प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3062 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदारी बाबू कन्हैया मूलचन्द पि0 किशोरी जाति मीना हि0ब0 सा0 देह मूलचन्द का हिस्सा राहिन एस.बी.आई.शाखा मेडी (स0मा0) के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन नायब तहसीलदार हिण्डौन दिनांक 04.06.2005 में अंकित किया है कि आज दिनांक 04.06.2005 को मुताविक आदेश बहमराह गिरदावर सर्किल खेडा व हमराह पटवारी के साथ ग्राम कटकड के खसरा नम्बर 3062 पर उपस्थित आया। नक्शा व खसरा से मौका मिलान किया गया। खसरा नम्बर 3094 पर बने हुए चौमेडा पर मुस्तिकल मुकाम कायम कर जरीब चलाई गई। मौके पर चारों तरफ से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 3062 की पूर्व मेंड पर निशानात कायम कर सीमा समझाई गई। मुस्तिकिल बिन्दु से खसरा नम्बर 3062 की दक्षिणी पूर्वी कोने तक 8 जरीब 6 गट्ठा नापा गया, वर्तमान [illegible] के अनुसार खसरा नम्बर 3063 में खसरा नम्बर 3062 का दक्षिणी मेड [illegible] मीटर व उत्तरी मेंड पर 4 मीटर पर निशान कायम किये। सबको पढ लिखकर हस्ताक्षर कराये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3062 का कुछ हिस्सा खसरा नम्बर 3063 में मौके पर नाप करने पर आ रहा है। इसलिए प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3062 का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3062 रकबा 0.33 है0 ग्राम कटकड का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खसरा नम्बर 3062 व 3063 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 24.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.03.21

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner